



Neutral Citation No. - 2026:AHC:127127

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या- 19684 वर्ष 2026

सरियत तुल्ला @ आदर्श पांडेय

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : फरहान खान, नौशीन फातिमा

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 5

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजीव कुमार

1. आवेदक के अधिवक्ता और राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का भी अवलोकन किया।
2. प्रस्तुत जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध/प्राथमिकी संख्या-90 वर्ष 2026 में धारा 140 (2), 309 (6) बी.एन.एस. और धारा 75 और 77 किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, थाना-लालगंज, जिला-बस्ती के तहत दायर किया गया है, जिसमें उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक एक निर्दोष व्यक्ति है और प्रस्तुत मामले में उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक ने कोई अपराध नहीं किया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि इसी तरह के सह-आरोपी व्यक्तियों, जसवंत सिंह को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-18543 वर्ष 2026 में पारित दिनांक 04.06.2026 के आदेश द्वारा पहले ही जमानत दे दी जा चुकी है। इन परिस्थितियों में, आवेदक समानता के आधार पर जमानत पर रिहा किए जाने का भी हकदार है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यदि उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. अपर शासकीय अधिवक्ताने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया है कि समान रूप से स्थित सह-अभियुक्त, जसवंत सिंह को पहले ही जमानत दी जा चुकी है।

5. अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की मिलीभगत, सजा की गंभीरता और गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा विचार है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। जमानत आवेदन को समानता के आधार पर **अनुमति** दी जाती है।

6. आवेदक- **सरियत तुल्ला @ आदर्श पांडे**, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।

(i) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दायर करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि को कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त की चूक के मामले में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा और कानून के अनुसार आदेश पारित किया जाएगा।

(ii) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से निर्धारित प्रत्येक तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। उसकी अनुपस्थिति के मामले में, पर्याप्त कारण के बिना, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-क/बी.एन.एस. के तहत कार्रवाई कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और धारा 82 द०प्र०स०/84 बी.एन.एस.एस. के तहत अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तारीख को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 174-क के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 209 के तहत भारतीय



दंड संहिता (भ०द०वि०) की धारा 174-क के तहत भारतीय दंड संहिता (भ०द०वि०) के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए के तहत भारतीय दंड संहिता (भ०द०वि०) के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 174के तहत उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक (1) मामले को खोलने, (2) आरोप तय करने और (3) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313/351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए इस तरह की चूक को जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

7. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह विचारण न्यायालय द्वारा जमानत रद्द करने का आधार होगा।

(न्यायमूर्ति संजीव कुमार)

12 जून 2026

अमित